# मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011

क्रमांक/ 7241 /F122A/NR-10/MGNREGS-MP/16 भोपाल, दिनांक 01/08/2016

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र., जिला–समस्त (म.प्र)

विषयः– **जिला सहकारी बैंकों स्थित खातों में सीधे इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर व्यवस्था लागू करने बावत।**

संदर्भः– म.प्र. शासन का पत्र क्र 331/NR-10, दिनांक 06/01/2014
परिषद् का पत्र क्र 977/MIS/NR-10/MGNREA-MP/14, दिनांक 31/01/14
परिषद का ई–मेल दिनांक 12 जून 2014, 23 फरवरी 2015, 05 मई 2015

———0———

कृपया संदर्भित पत्रों एवं ई–मेल का अवलोकन करने का कष्ट करें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तत्वाधान में अपेक्स बैंक तथा जिला सहकारी बैंकों को आईएफएस कोड आवंटित किये गये हैं। अतः जिला सहकारी बैंकों स्थित खातें एनईएफटी सिस्टम अंतर्गत सीधे इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रांसफर सिस्टम से जुड़ गये हैं। इस संबंध में संदर्भित पत्र एवं ई–मेल एवं विभिन्न कार्यशालाओं में स्पष्ट प्रक्रिया एवं उसके लाभ एवं आवश्यकता के संबंध में अवगत कराया जा चुका है।

म.प्र. शासन का पत्र क्र 331/NR-10, दिनांक 06/01/2014 के संदर्भित पत्र के माध्यम से उपरोक्त व्यवस्था संपादित करने हेतु जिले एवं जनपद स्तर पर कार्यवाही तत्काल पूर्ण करने हेतु लेख किया गया था, जिससे कि समस्त सहकारी बैंको स्थित हितग्राहियों के खातों में मनरेगा अंतर्गत राशि इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर आर्डर के माध्यम से सीधे हस्तांतरण की जा सके।

सहकारी बैंक तथा सहकारी संस्थाओं में नॉन–सीबीएस खातों में पूर्व में किये गये भुगतान का विवरण दिनांक सहित की अद्यतन स्थिति नरेगा सॉफ्ट में दर्ज की जाना आवश्यक है, इस हेतु समस्त जिलों को पासवर्ड उपलब्ध कराये गये हैं, परन्तु भुगतान की स्थिति दर्ज न होने से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वास्तविक रूप से मजदूरों के खाते में राशि हस्तांतरण की गई है अथवा नहीं। नॉन–सीबीएस खातों में राशि हस्तांतरण करने में अनेक समस्यायें हैं एवं मजदूरी भुगतान तथा वित्तीय अनियमितता की संभावनायें बनी रहती हैं।

अतः शासन के संदर्भित पत्र क्र 331/NR-10, दिनांक 06/01/2014 अनुसार कार्यवाही करने एवं सहकारी बैंकों के भुगतान अनिवार्य रूप से एनईएफटी/आधार आधारित भुगतान से सुनिश्चित करें एवं 15 दिवस के अन्दर की गई कार्यवाही से परिषद् मुख्यालय को एवं ई–मेल rddmp_mis@yahoo.com पर अवगत कराने का कष्ट करें।

( रघुराज राजेन्द्रन )
आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,

पृ. क्रं/ 7242 /F122A/NR-10/NREGSMP/2016 भोपाल, दिनांक 01/08/2016

प्रतिलिपिः–

- समस्त संभागयुक्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त 30/7/16.
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,

F: NS ----